

प्रेषक,

भनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- १-समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
- २-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।
- ३-समस्त नगर आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

।नगर विकास अनुभाग-८

लखनऊ: दिनांक ३। अगस्त, २०१७


विषय-रिट याचिका संख्या'८२९३(एम/बी)/२०१७ मो. मुस्तफा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा २६ अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक-१२.५.२०१७ का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-३५६७/९.८.२०१७.१०७ज/२०१७, दिनांक- २९ जून,२०१७ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

२- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक-०८.८.२०१७ में की गयी संस्तुति के अनुरूप शासनादेश संख्या-३५६७/९.८.२०१७.१०७ज/२०१७, दिनांक-२९ जून,२०१७ को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय, ।



(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (१)/९.८.२०१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- प्रमुख सचिव, गृह/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
- २- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- ३- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर पंद्रश (द्वारा जिलाधिकारी)।
- ४- गार्ड फरइल।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।